पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94148–52027	मो. 94144–03756

क्रमांक : 924 दिनांकः 02.08.2017

माननीय शिक्षामंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः शिक्षकों की छठें वेतनमान में ग्रेड पे की विसंगतियों को दूर कर केन्द्र के अनुरूप सातवाँ वेतनमान लागू करने के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि राज्य के शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के अनुरूप केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाने का राज्य सरकार के साथ समझौता है। इसी कारण पाँचवे वेतनमान में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक (मा.शि.) को केन्द्र के अनुरूप वेतनमान दिये गये थे। लेकिन छठे वेतनमान में राजस्थान में शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के अनुसार केन्द्र के अनुरूप पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे नहीं दिए गए, जिसको गत कांग्रेस सरकार ने 01.07.2013 से संशोधन तो किया लेकिन व्याख्याता व प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के अलावा अन्य पद के शिक्षकों को केन्द्र के समकक्ष ग्रेड–पे नही दिये गये। विधानसभा चुनाव 2013 के समय इन विसंगतियों को स्वीकार करते हुए आपने भी चुनाव घोषणा पत्र में इन्हें दूर करने की घोषणा की थी परन्तु इन विसंगतियों का अभी तक निवारण नहीं किया गया।

छठें वेतनमान में शिक्षक संवर्ग में रही विसंगतियाँ निम्न प्रकार है –

क्र. सं	पद	केन्द्रीय वेतनमान			राजस्थान का वेतनमान			अन्तर
		वेतनमान	पे–बैण्ड	ग्रेड –पे	वेतनमान	पे–बैण्ड	ग्रेड –पे	
1	अध्यापक/शा.शि. /समकक्ष	9300–34800	2	4200	9300–34800	2	3600	–600
2	वरि. अध्या./व.शा.शि. समकक्ष	9300–34800	2	4600	9300–34800	2	4200	–400
3	व्याख्याता/ समकक्ष	9300–34800	2	4800	9300–34800	2	4800	00

4	प्रधानाध्यापक / समकक्ष	15600–39100	3	5400	15600–39100	3	5400	00
5	प्रधानाचार्य / समकक्ष	15600–39100	3	7600	15600–39100	3	6600	–1000
6	जि.शि.अ. / समकक्ष	15600–39100	3	7600	15600–39100	3	6800	–800
7	प्रयोगशाला सहायक / समकक्ष	5200–20200	1	2800	5200–20200	1	2800	00
8	पुस्तकालयाध्यक्ष / समकक्ष	9300–34800	2	4200	9300–34800	2	3600	–600
9	वरि. पुस्तकालयाध्यक्ष / समकक्ष	9300–34800	2	4600	9300–34800	2	4200	–400

अतः समझौते के अनुसार केन्द्र के अनुरूप शिक्षकों के देय वेतन में रही विसंगतियों पर विशेष रूप से विचार कर निम्न संशोधन किया जाये –

1. अध्यापक / समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू. किया जाये।
2. वरिष्ठ अध्यापक / समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू.किया जाये।
3. प्रधानाचार्य / समकक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **7600** रू. किया जाये।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष / समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू. किया जाये।
5. वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष / समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू. किया जाये।
6. 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक को 2 वर्ष के परीवीक्षा काल के पश्चात् **11,170** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है जबकि 2012 से 2015 में नियुक्त अध्यापक का **12,900** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है। अतः 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापकों का वेतन निर्धारण भी इसी अनुरूप **12,900** रू. मूल वेतन मानते हुए किया जाये।
7. वरिष्ठ अध्यापक / समकक्ष का दिनांक 01.07.2013 से **14430** रू.वेतन फिक्स किया गया है जिसमें **(5500 x 1.86 = 10230 + 4200 = 14430)** के फॉर्मूले का उपयोग किया गया है। इनके वेतन फिक्स निर्धारण में अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के लिए प्रयुक्त केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार फॉर्मूले का उपयोग किया गया है। अतः वरिष्ठ अध्यापक का भी वेतन निर्धारण केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार अर्थात् – **6500 x 1.86 = 12090 + 4200 = 16,290** रू. पर किया जाये।
8. व्याख्याता / समकक्ष को 01.07.2013 से **18,750** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है। इनके वेतन फिक्स निर्धारण में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के लिए प्रयुक्त केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार फॉर्मूले का उपयोग किया गया है जो कि उचित है, लेकिन दिनांक 28.07.2017 के आदेश से वार्षिक वेतन वृद्धि **(G.I.)** रोक देने के कारण इस सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन भ्रान्तियों का तत्काल निवारण कर केन्द्र के

अनुरूप व्याख्याता/समकक्ष का वेतन **18750** रू. रखते हुये आगामी वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए।

9. **R.V.R.S.** (राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा) के कार्मिकों को दिनांक 01.07.2011 से राज्य सेवा में समायोजित किया गया है। दिनांक 28.07.2017 का आदेश 01.07.2013 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रभावी रखा गया है। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा के द्वारा लगे शिक्षक इसके पूर्व राज्य सेवा में समायोजित हो चुके है साथ ही इनकी पिछली लम्बी सेवाओं को भी स्वीकार किया गया है। इसलिए इनको 28.07.2017 के आदेश के प्रभाव से दूर रखा जाए।

केन्द्र के कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान मिल चुका है। अतः राजस्थान में भी इसे लागू किया जाना है। सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुरूप अभी तक शिक्षकों के छठें वेतनमान में पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। जिससे वर्तमान में तो शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद यह आर्थिक नुकसान और अधिक जीवन पर्यन्त होता रहेगा जिसके कारण शिक्षकों में भारी असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है।

श्रीमान् से अनुरोध है कि उपर्युक्त विसंगतियों को दूर करते हुए राजस्थान में भी शीघ्र ही 1 जनवरी 2016 से केन्द्र के अनुरूप सातवाँ वेतनमान दिलवाकर राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करें।

भवदीय

(देवलाल गोचर)
महामंत्री

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव–वित्त, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

(देवलाल गोचर)
महामंत्री